"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 454] रायपुर, बुधवार, दिनांक 25 अक्टूबर 2017 —— कार्तिक 3, शक 1939

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 13 अक्टूबर 2017

अधिसूचना
क्रमांक 38/2017 –राज्य कर (दर)

क्रमांक एफ–10–81/2017/वाक/पांच (141). —— राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 7 सन् 2017) की धारा 11 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि परिषद् की सिफारिश पर ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, राज्य सरकार के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना कमांक 8/2017–राज्य कर (दर), कमांक एफ–10–43/2017/वाक/पांच (76) दिनांक 28 जून, 2017 छत्तीसगढ़ के राजपत्र असाधारण कमांक 252 दिनांक 29 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :–

उक्त अधिसूचना में, पैरा 1 के अधीन परंतुक का लोप किया जाएगा।

2. इस अधिसूचना द्वारा यथासंशोधित अधिसूचना सं. 8/2017–राज्य कर (दर) तारीख 28 जून, 2017 में अंतर्विष्ट छूट 31 मार्च, 2018 तक सभी रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को लागू होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 13 अक्टूबर 2017

क्रमांक एफ–10–81/2017/वाक/पांच (141). —— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10–81/2017/वाक/पांच (141) दिनांक 13–10–2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 13th October 2017

NOTIFICATION
No. 38 /2017 – State Tax (Rate)

No. F-10- 81/2017/CT/V (141). — In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the Chhattisgarh Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendment in the notification No.8/2017- State Tax (Rate), No. F-10-43/2017/CT/V (76) dated the 28th June, 2017, of the Government of Chhattisgarh, in the Department of Commercial Tax, published in the Gazette of Chhattisgarh, Extraordinary, vide number 252 dated the 29th June, 2017, namely :-

In the said notification, the proviso under Paragraph 1 shall be omitted.

2. The exemption contained in the notification No. 8/2017-State Tax (Rate) dated the 28th June, 2017 as amended by this notification shall apply to all registered persons till the 31st day of March, 2018.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 13 अक्टूबर 2017

अधिसूचना
क्रमांक 38/2017 –राज्य कर

क्रमांक एफ–10–81/2017/वाक/पांच (142). —– राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 7 सन् 2017) की धारा 23 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना सं. 32/2017–राज्य कर, कमांक एफ–10–73/2017/वाक/पांच (123) दिनांक 15 सितम्बर, 2017 जो छत्तीसगढ़ के राजपत्र असाधारण कमांक 420 दिनांक 22 सितम्बर,2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :–

उक्त अधिसूचना की सारणी में –

(i) कम सं. 9 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

"9	टैक्सटाइल (हथकरघा उत्पाद, हाथ से बनी शालें, स्टोल और स्कार्फ)	50, 58, 61, 62, 63 सहित";

(ii) कम सं. 28 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

"29	श्रृंखला टांका	कोई अध्याय
30	किवेल, नामदा, गाबा	कोई अध्याय
31	खपच्ची भिसा उत्पाद	कोई अध्याय
32	तोरण	कोई अध्याय
33	शोला से बनी चीजें	कोई अध्याय"।

2. इस अधिसूचना द्वारा यथासंशोधित अधिसूचना सं. 8/2017–केन्द्रीय कर (दर) तारीख 28 जून, 2017 में अंतर्विष्ट छूट 31 मार्च, 2018 तक सभी रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को लागू होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 13 अक्टूबर 2017

क्रमांक एफ–10–81/2017/वाक/पांच (142). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10–81/2017/वाक/पांच (142), दिनांक 13–10–2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 13th October 2017

NOTIFICATION
No. 38 /2017 – State Tax

No. F-10- 81/2017/CT/V (142). — In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 23 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification No. 32/2017-State Tax, No. F-10-73/2017/CT/V (123) dated the 15th September, 2017, of the Government of Chhattisgarh, in the Department of Commercial Tax, published in the Gazette of Chhattisgarh, Extraordinary, vide number 420 dated the 22nd September, 2017, namely :-

In the said notification, in the Table –

(i) for serial number 9 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

"9	Textile (handloom products), Handmade shawls, stoles and scarves	Including 50, 58, 61, 62, 63";

(ii) after serial number 28 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:-

"29	Chain stitch	Any chapter
30	Crewel, namda, gabba	Any chapter
31	Wicker willow products	Any chapter
32	Toran	Any chapter
33	Articles made of shola	Any chapter".

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 13 अक्टूबर 2017

अधिसूचना
क्रमांक 39/2017 –राज्य कर

क्रमांक एफ–10–81/2017/वाक/पांच (143). — राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 7 सन् 2017) (जिसे अधिसूचना में इसके पश्चात् "छत्तीसगढ़ जीएसटी अधिनियम" कहा किया गया है) की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियो को प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर यह विनिर्दिष्ट करती है कि केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात "सीजीएसटी अधिनियम" कहा गया है, के अधीन नियुक्त अधिकारी, जो सीजीएसटी अधिनियम की धारा 54 या धारा 55 के प्रयोजनों के लिए बोर्ड के आयुक्त द्वारा समुचित अधिकारियों के रूप में प्राधिकृत हैं, जिन्हें इस अधिसूचना के पश्चात् "उक्त अधिकारी" कहा गया है) छत्तीसगढ़ जीएसटी अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 54 या धारा 55 के अधीन, उक्त अधिकारियो की राज्यक्षेत्रीय अधिकारिता में अवस्थित किसी ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति

के संबंध में, जो उक्त अधिकारियों को प्रतिदाय की मंजूरी के लिए आवेदन करता है, प्रतिदाय की मंजूरी के प्रयोजनों के लिए समुचित अधिकारियों के रूप में कार्य करेंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 13 अक्टूबर 2017

क्रमांक एफ—10—81/2017/वाक/पांच (143). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ—10—81/2017/वाक/पांच (143), दिनांक 13—10—2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 13th October 2017

NOTIFICATION
No. 39 /2017 – State Tax

No. F-10- 81/2017/CT/V (143). — In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017) (hereafter in this notification referred to as "Chhattisgarh GST Act"), on the recommendations of the Council, the Government of Chhattisgarh hereby specifies that the officers appointed under the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the "CGST Act"), who are authorized to be the proper officers for the purposes of section 54 or section 55 of the CGST Act (hereafter in this notification referred to as "the said officers") by the Commissioner in the Board, shall act as proper officers for the purpose of sanction of refund under section 54 or section 55 of the Chhattisgarh GST Act read with the rules made there under, in respect of a registered person located in the territorial jurisdiction of the said officers who applies for the sanction of refund to the said officers.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 13 अक्टूबर 2017

अधिसूचना
क्रमांक 40/2017 —राज्य कर

क्रमांक एफ—10—81/2017/वाक/पांच (144). — राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 7 सन् 2017) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात्, 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में सकल आवर्त एक करोड़ पचास लाख रुपये से अधिक नही था या कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसकी उस वर्ष में जिसमें ऐसे व्यक्ति ने रजिस्ट्रीकरण करवाया है, में सकल आवर्त एक करोड़ पचास लाख रुपये से कम होने की संभावना है और जिसने उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन कम्पोजिशन उद्ग्रहण का विकल्प नहीं लिया था, ऐसे व्यक्तियों के प्रवर्ग के रूप में अधिसूचित करती है, जो उक्त अधिनियम की धारा 14 के उपबंधों के संबंध में परिस्थितियों सहित उक्त अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के खंड (क) में यथा विनिर्दिष्ट पूर्ति के समय माल की जावक पूर्ति पर राज्य कर का संदाय करेगा, और तद्नुसार उक्त अधिनियम के अध्याय 9 और उसके अधीन बनाए गए नियमों यथा विनिर्दिष्ट ब्यौरे और विवरणी को प्रस्तुत करेगा और रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग द्वारा कर के संदाय के लिए विहित अवधि वह होगी जो उक्त अधिनियम में विनिर्दिष्ट है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 13 अक्टूबर 2017

क्रमांक एफ–10–81/2017/वाक/पांच (144). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10–81/2017/वाक/पांच (144), दिनांक 13–10–2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 13th October 2017

NOTIFICATION
No. 40 /2017 – State Tax

No. F-10- 81/2017/CT/V (144). — In exercise of the powers conferred by section 148 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the 'said Act'), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies the registered person whose aggregate turnover in the preceding financial year did not exceed one crore and fifty lakh rupees or the registered person whose aggregate turnover in the year in which such person has obtained registration is likely to be less than one crore and fifty lakh rupees and who did not opt for the composition levy under section 10 of the said Act as the class of persons who shall pay the state tax on the outward supply of goods at the time of supply as specified in clause (a) of sub-section (2) of section 12 of the said Act including in the situations attracting the provisions of section 14 of the said Act, and shall accordingly furnish the details and returns as mentioned in Chapter IX of the said Act and the rules made thereunder and the period prescribed for the payment of tax by such class of registered persons shall be such as specified in the said Act.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 13 अक्टूबर 2017

अधिसूचना
क्रमांक 45/2017 –राज्य कर

क्रमांक एफ-10-81/2017/वाक/पांच(145). — राज्य सरकार, छतीसगढ़ और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छतीसगढ़ माल और सेवाकर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छतीसगढ़ माल और सेवाकर (आठवां संशोधन) नियम, 2017 है ।

   (2) वे उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. छतीसगढ़ माल और सेवाकर नियम, 2017 में,-

   (i) नियम 3 में, उपनियम (3क) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-
   "(3क) उपनियम (1), उपनियम (2) और उपनियम (3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति, जिसे नियम 24 के अधीन अनंतिम आधार पर रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त किया गया है या जिसे नियम 10 के उपनियम (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त किया गया है, धारा 10 के अधीन उस मास के, जिसमें उसने सामान्य पोर्टल पर या तो सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्र के माध्यम से 31 मार्च, 2018 को या उससे पूर्व प्ररूप जीएसटी सीएमपी-02 में संसूचना फाइल करता है, के तुरंत उत्तरवर्ती मास की पहली तारीख से कर का संदाय करने का विकल्प ले सकेगा और वह नियम 44 के उपनियम (4) के

उपबंधों के अनुसार प्ररूप जीएसटी आईटीसी-03 में उस दिन, जिसको ऐसा व्यक्ति धारा 10 के अधीन कर का संदाय करना आरंभ करता है, से नब्बे दिन की अवधि के भीतर विवरण प्रस्तुत करेगा :

परंतु उक्त व्यक्तियों को प्ररूप जीएसटी आईटीसी-03 में विवरण प्रस्तुत करने के पश्चात् प्ररूप जीएसटी टीआरएएन-1 में घोषणा प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।'';

(ii) नियम 46 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

''46क. पूर्ति का बीजक-सह-बिल- नियम 46 या नियम 49 या नियम 54 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति किसी गैररजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को कराधेय मालों के साथ छूट प्राप्त मालों या सेवाओं की पूर्ति करता है, तो वह ऐसी पूर्तियों के लिए, एकल ''पूर्ति का बीजक-सह-बिल'' जारी कर सकेगा ।'';

(iii) नियम 54 के उपनियम (2) में,-

(क) ''कर बीजक'' शब्दों के स्थान पर, ''समेकित कर बीजक'' शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) ''चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो'' शब्दों के पश्चात्, ''मास के अंत में मास के दौरान सेवाओं की पूर्ति के लिए'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(iv) नियम 62 के उपनियम (1) में निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

''परंतु कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो उस मास की पहली तारीख से, जो तिमाही का पहला मास नहीं है, धारा 10 के अधीन कर का संदाय करने का विकल्प लेता है, प्ररूप जीएसटीआर-4 में तिमाही की उस अवधि के लिए, जिसके लिए उसने धारा 10 के अधीन कर का संदाय किया है विवरणी प्रस्तुत करेगा और वह धारा 10 के अधीन कर संदाय का विकल्प लेने से पूर्व तिमाही की अवधि के लिए उसे यथा लागू विवरणियां प्रस्तुत करेगा ।'';

(v) प्ररूप जीएसटी सीएमपी-02 में ''देखें नियम 3(2)'' शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, ''देखें नियम 3(3) और 3(3क)'' शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(vi) प्ररूप जीएसटीआर-1 में सारणी 6 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

''6 शून्य दर पूर्तियां और माने गए निर्यात

प्राप्तिकर्ता का जीएसटीआईएन	बीजक के ब्यौरे			परिवहन बिल/निर्यात बिल		एकीकृत कर			उपकर
	सं0	तारीख	मूल्य	सं0	तारीख	दर	कराधेय मूल्य	रकम	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6क. निर्यात									
6ख. एसईजेड इकाइयों या एसईजेड विकासकर्ता को की गई पूर्तियां									
6ग. माना गया निर्यात									
									'' ;

(vii) प्ररूप जीएसटीआर-1क में सारणी 4 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"4 एसईजेड को की गई शून्य दर पूर्तियां और माने गए निर्यात

प्राप्तिकर्ता का जीएसटीआईएन	बीजक के ब्यौरे			एकीकृत कर			उपकर
	सं0	तारीख	मूल्य	दर	कराधेय मूल्य	कर रकम	
1	2	3	4	5	6	7	8
4क. एसईजेड इकाई या एसईजेड विकासकर्ता को की गई पूर्तियां							
4ख. माना गया निर्यात							
							";

(viii) प्ररूप जीएसटी आर-4 में, अनुदेश सं0 9 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"10. जुलाई, 2017 से सितंबर, 2017 और अक्तूबर, 2017 से दिसंबर, 2017 कर अवधि के लिए सारणी 4 की क्रम सं0 4क प्रस्तुत नहीं की जाएगी"।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 13 अक्टूबर 2017

क्रमांक एफ–10–81/2017/वाक/पांच (145). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10–81/2017/वाक/पांच (145), दिनांक 13–10–2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 13th October 2017

NOTIFICATION
No. 45 /2017 – State Tax

No. F-10- 81/2017/CT/V (145). — In exercise of the powers conferred by section 164 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Chhattisgarh Goods and Services Tax Rules, 2017, namely :-

(1) These rules may be called the Chhattisgarh Goods and Services Tax (Eighth Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Chhattisgarh Goods and Services Tax Rules, 2017, –

(i) in rule 3, for sub-rule (3A), the following sub-rule shall be substituted, namely :-

"(3A) Notwithstanding anything contained in sub-rules (1), (2) and (3), a person who has been granted registration on a provisional basis under rule 24 or who has been granted certificate of registration under sub-rule (1) of rule 10 may opt to pay tax under section 10 with effect from the first day of the month immediately succeeding the month in which he files an intimation in FORM GST CMP-02, on the common portal either directly or through a Facilitation Centre

notified by the Commissioner, on or before the 31st day of March, 2018, and shall furnish the statement in FORM GST ITC-03 in accordance with the provisions of sub-rule (4) of rule 44 within a period of ninety days from the day on which such person commences to pay tax under section 10:

Provided that the said persons shall not be allowed to furnish the declaration in FORM GST TRAN-1 after the statement in FORM GST ITC-03 has been furnished.";

(ii) after rule 46, the following rule shall be inserted, namely:-

"46A. Invoice-cum-bill of supply.- Notwithstanding anything contained in rule 46 or rule 49 or rule 54, where a registered person is supplying taxable as well as exempted goods or services or both to an unregistered person, a single "invoice-cum-bill of supply" may be issued for all such supplies.";

(iii) in rule 54, in sub-rule (2),

(a) for the words "tax invoice" the words "consolidated tax invoice" shall be substituted;

(b) after the words "by whatever name called", the words "for the supply of services made during a month at the end of the month" shall be inserted;

(iv) in rule 62, in sub-rule (1), the following proviso shall be inserted, namely :-

"Provided that the registered person who opts to pay tax under section 10 with effect from the first day of a month which is not the first month of a quarter shall furnish the return in FORM GSTR-4 for that period of the quarter for which he has paid tax under section 10 and shall furnish the returns as applicable to him for the period of the quarter prior to opting to pay tax under section 10.";

(v) in FORM GST CMP-02, for the words, figures and brackets "See rule 3(2)", the words, figures, brackets and letter "See rule 3(3) and 3(3A)" shall be substituted;

(vi) in FORM GSTR-1, for Table 6, the following shall be substituted, namely :-

"6. Zero rated supplies and Deemed Exports

GSTIN of recipient	Invoice details			Shipping bill/ Bill of export		Integrated Tax			Cess
	No.	Date	Value	No.	Date	Rate	Taxable value	Amt.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6A. Exports									
6B. Supplies made to SEZ unit or SEZ Developer									
6C. Deemed exports									
									”;

(vii) in FORM GSTR-1A, for Table 4, the following shall be substituted, namely :-

"4. Zero rated supplies made to SEZ and deemed exports

GSTIN of recipient	Invoice details			Integrated Tax			Cess
	No.	Date	Value	Rate	Taxable value	Tax amount	
1	2	3	4	5	6	7	8
4A. Supplies made to SEZ unit or SEZ Developer							

1	2	3	4	5	6	7	8
4B. Deemed exports							
							";

(viii) in FORM GSTR-4, after instruction no.9, the following shall be inserted, namely :-

"10. For the tax periods July, 2017 to September, 2017 and October, 2017 to December, 2017, serial 4A of Table 4 shall not be furnished."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2017.